न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 53/2019

1. नितिन कुमार पुत्र शशीकान्त नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षक माता आशा देवी पत्नी शशीकान्त जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

—— आवेदक

बनाम

1. जगदीश प्रसाद गौड़ उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2. राधेश्याम पुत्र वैजनाथ जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3. शशिकान्त पुत्र राधेश्याम जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4. गोतम पुत्र राधेश्याम जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5. उषा पुत्री राधेश्याम जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
6. उर्मिला पुत्र राधेश्याम जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
7. मंजु पुत्री राधेश्याम जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
8. शान्तिदेवी पत्नी गोपीराम जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
9. सुरेश कुमार पुत्र गोपीराम जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
10. भगवती पुत्री गोपीराम जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
11. सुशील पुत्र सत्यनारायण जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
12. लक्ष्मीकान्त पुत्र सत्यनारयण जाति नाई निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
13. रमेश देवी पत्नी रणधीर जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
14. स्नेहलता पत्नी प्रमोद कुमार जाति स्वामी निवासी दुधवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
15. मीनुदेवी पत्नी राकेश कुमार योगी निवासी हमीरवास तहसील व जिला झुंझुनू।
16. धर्मपाल सिहं पुत्र सुखदेव सिहं जाति जाट निवासी नुनियां गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
17. विमला देवी पत्नी जगदीश प्रसाद मेघवाल निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
18. रोहिताश सैनी पुत्र लीलाधर सैनी जाति माली निवासी गुगोजी की ढाणी चिड़ावा तहसील चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
19. जितेन्द्र कुमार पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी बुडानियां तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
20. भंवरलाल पुत्र जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ब्राहम्णों की ढाणी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
21. ओमप्रकाश पुत्र नथमल जाति माली निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
22. ललित कुमार पुत्र अरूण कुमार जाति महाजन निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
23. नगर पालिका चिड़ावा जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चिड़ावा।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा।
25. उप पंजीयक चिड़ावा जिला झुंझुनू।

—— अनावेदक

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार सैनी – अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
2. श्री अशोक शर्मा – अभिभाषक – अनावेदक संख्या 2 व 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1, 24 व 25 की ओर से।

– – –

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अ.धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 15/2018 व 16/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उनवानी मुकदमा अक्षय कुमार वगैरह बनाम राधेश्याम वगैरह को चिड़ावा से अन्यत्र ट्रान्सफर करने हेतु।

– – –

आदेश

दिनांक 25.11.2019

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक ने विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के बाबत किये जाने स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 15/2018 व 16/2018 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक मुकदमा 15/2018 व 16/2018 बउनवान अक्षय कुमार वगैरह बनाम राधेश्याम वगैरह श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के न्यायालयों में प्रस्तुत किया था जो दावा अ.आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की बहस की स्टेज पर चल रहा है। उपरोक्त प्रकरण में कस्बे के बड़े बड़े भूमाफिया लोग शरीक है तथा काफी राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। जो शासन में दखल रखते है। इसके विपरीत प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है तथा अपने अधिकारों की रक्षार्थ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दावा बाबत घोषणार्थ व खाता विभाजन हेतु प्रस्तुत किया था। प्रार्थी के पास विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने आकर बताया है कि विपक्षीगणों ने स्थानीय विधायक से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा को फोन करवाकर हस्तगत प्रकरण को प्रतिवादीगण के पक्ष में करने के लिये दबाब बना रखा है। दिनांक 04.04.2019 को प्रार्थीगण चिड़ावा न्यायालय में गया हुआ था तब विपक्षी संख्या 2 स्थानीय विधायक श्री जे.पी. चन्देलिया के साथ उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के चेम्बर में गये थे और जब बाहर निकले तो दोनों हसते हुये कह रहे थे कि 09.04.2019 को काम हो जायेगा। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है अगर इन राजनेता के इशारे पर प्रार्थी के प्रकरण को उक्त पीठासीन अधिकारी निस्तारण करता है तो प्रार्थी को काफी हकतलफी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नगद में नहीं की जा सकेगी। ऐसे हालातों में प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है और उक्त अधिकारी अब फेयर न्याय करने में असमर्थ है क्योंकि स्थानीय विधायक के दबाव से प्रभावित है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रकरण संख्या 15/2018 व प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 15/18 व 16/18 को चिड़ावा से अन्यत्र ट्रान्सफर करने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर को निराधार बताते हुये प्रकरण मु.न. 15/2018 अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर अपनी कोई आपति नही होना अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा उपस्थित आये जिन्होने ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश न कर बहस सुनने का निवेदन किया, अप्रार्थी संख्या 1, 24 व 25 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने शेष रहे अप्रार्थीगण की तलबी की बाबत बहस सुने जाने का निवेदन किया। तलबी के बिन्दु पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को सुना गया। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि किसी भी प्रकरण का निस्तारण उसके सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने बाद ही किया जाना चाहिए। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त भी है। अतः तलबी से शेष रहे अप्रार्थीगण की तलबी जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया ओर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में प्रभावित पक्षकार केवल

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 है जो न्यायालय में उपस्थित आ चुके है शेष अप्रार्थीगण केवल प्रफोर्मा पार्टी है जिनका प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी केवल सुनवाई में देरी करना चाहता है। अतः प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण की तलबी जारी न कर बहस सुनी जावें।

दोनों पक्षों के कथनों पर मनन किया तथा सलंग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया प्रकरण में तथ्य तो साफ है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रभावित पक्षकार है तथा शेष अप्रार्थीगण केवल प्रफोर्मा के रूप में पक्षकार बनाये गये है। अतः प्रकरण में सुनवाई में अनावश्यक देरी न कर सिधे बहस सुना जाना उचित प्रतित होता है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जा रहा है। आवेदकगण को अदालत मातहत से न्याय की आशा नहीं है। अतः पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर वकील आवेदक के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जा रहा है। आवेदक प्रकरण की सुनवाई में देरी कराना चाहते है। आवेदक के प्रार्थना पत्र में कोई फोर्स नहीं है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में वकील अनावेदक के कथनों का समर्थन किया तथा निवेदन किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निराधार व मंनगढत तथ्यों पर आधारित है जो खारीज होने योग्य है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। परन्तु आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों की वैधता साबित हो सकें। आवेदक ने अदालत मातहत के यहां स्थगन प्राप्त कर रखा है तथा अदालत मातहत के यहां विचाराधीन वाद भी तलबी हेतु विचाराधीन चल रहा है। जिससे साफ जाहिर है कि आवेदक वाद का निपटारा न चाहकर केवल प्रकरण में देरी करना चाहता है। आवेदक अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने में विफल रहे है। अतः आवेदक के प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के प्रस्तुत होने पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अदालत मातहत को इस निर्देशित के साथ प्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में शीघ्रता से सुनवाई कर नियमानुसार एवं विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Jain
Date: 2019.11.27 13:19:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: